

आदेश संख्या 01/2017-18

आदेश

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री साथ ही साथ स्टैक होल्डरों द्वारा किए गए अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार करके आदेश दिया कि:

(i) बंगलुरु हवाई अड्डा, बंगलुरु में भारत स्टार सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसपीएल) द्वारा प्रदान की जा रही इटो प्लेन सर्विस "महत्वपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी" हैं। इसलिए प्राधिकरण ने 01.04.2016 से 31.03.2021 तक द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए "लाइट टच दृष्टिकोण" को अपनाया है।

(ii) बीएसएसपीएल को 01.04.2016 से 30.04.2018 तक की अवधि के लिए 31.03.2016 को लगाए जाने वाले टैरिफ को लगाना जारी रखने की अनुमति दी जाती है (संलग्नक- I)।

प्राधिकरण के आदेश और नाम से

ह./-
(पूजा जिंदल)
सचिव

सेवा में,
मैसर्स भारत स्टार सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड,
प्रथम तल प्लाट ए-5 और 6, सैक्टर 1
नोएडा-201301,
उत्तर प्रदेश
(मार्फत: श्री.आकाश तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

प्रतिलिपि :सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-
110003

कैपेंगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु, में इंटो प्लेन सेवाएं में प्रदान करने के लिए मैसर्स बीएसएसपीएल का टैरिफ कार्ड

टैरिफ वर्ष	विमान में ईंधन भरने के लिए	विमान डीफ्यूलिंग		विमान में पुनः ईंधन भरना डीफ्यूएलड उत्पाद		
		48 घंटों के भीतर	48 घंटों के बाद	48 घंटों के भीतर	48 घंटों के बाद	
दूसरी नियंत्रण अवधि	01.04.2016 से 31.03.2017	268.03	268.03	321.63	294.82	321.63
	01.04.2017 to 31.03.2018	268.03	268.03	321.63	294.82	321.63
	01.04.2018 to 30.04.2018	268.03	268.03	321.63	294.82	321.63

टिप्पणी: उपर्युक्त टैरिफ ऐरा के दिनांक 28.06.2013के आदेश संख्या 20/2013-14 के अनुसार है।